



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

No. 261]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2003/चैत्र 3, 1925

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2003/CHAITRA 3, 1925

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2003

क.आ. 310(अ).—वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का XXXIII) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ते) नियम, 1951 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(1) इन नियमों को वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ते) नियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ते) नियम, 1951 के नियम 3 में उप-नियम (ख) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(7) यदि किसी सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्नलिखित में किसी भी विकल्प का प्रयोग कर सकता है,

(क) भारत सरकार के सचिव का वेतन, (सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में न्यून पेंशन) महंगाई भत्ता तथा परिलब्धियों का आहरण तथा राज्य मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त करेगा, अथवा

(ख) राज्य मंत्री के संबंध में लागू वेतन, दैनिक भत्ता, परिलब्धियों का आहरण तथा प्रास्थिति (तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में बिना महंगाई राहत के पेंशन) का उपयोग करेगा।”

[फा. सं.10(14)-बी (एस)/2002]

धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2003

S.O. 310(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951, (XXXIII of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission (Salaries and Allowances) Rules, 1951, namely :—

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Finance Commission (Salaries and Allowances) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Finance Commission (Salaries and Allowances) Rules, 1951, in rule 3, after sub-rule(b), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(7) If a Member is given the rank of a Minister of State, he may exercise the following options, either :—

- (a) to draw pay (less pension in case of retired officials), dearness allowance and perquisites of a Secretary to the Government of India and status of Minister of State; or
- (b) to draw pay, daily allowance, perquisites and status applicable to a Minister of State (plus pension without dearness relief in case of retired officials)”.

[F. No. 10(14)-B(S)/2002]

D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)